

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

संख्या: 1822 / XVII(2)/2010

देहरादून, दिनांक 06 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कियान्वयन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर एतद्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को "बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी" के रूप में नामित किया जाता है।

मनीषा पंवार
सचिव

संख्या: 1822 (1) / XVII(2)/2010 / तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग / प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / दहेज प्रतिषेध अधिकारी उत्तराखण्ड।
16. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग- 4, खण्ड (ख) में मुद्रित कराने तथा इसकी 200 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

मनीषा पंवार
सचिव